

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : ई-33/रेडियो./एम 117/2019/

दिनांक :

आदेश

श्री श्रीकांत शर्मा, अधीक्षक रेडियोग्राफर, एसआरजी राजकीय चिकित्सालय सेठी कॉलोनी, संलग्न एसएमएम मेडिकल कॉलेज, जयपुर को दिनांक 15.4.2019 से 10.5.2019 तक विदेश ताईवान निजी यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

1. कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवा कर प्रस्थान करेंगे तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।

॥
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक : ई-33/रेडियो./एम 117/2019/108 दिनांक : 30/4/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
2. अधीक्षक, एसआरजी राजकीय चिकित्सालय सेठी कॉलोनी, संलग्न एसएमएम मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय। वास्तो अपलोड
4. श्री श्रीकांत शर्मा, अधीक्षक रेडियोग्राफर को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश पत्रावली।

॥
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर